न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–कटनी

1– बलराम पुत्र स्व. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता
2– घनश्याम पुत्र स्व. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता
3– श्रीमती कस्तूरी बाई बेवा स्व. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता
निवासीगण–विजयराघवगढ़ जिला कटनी (म.प्र.)
..... आवेदकगण

विरूद्ध

1– संतोष कुमार पुत्र स्व. श्री मूलचन्द्र गुप्ता
2– अशोक कुमार पुत्र स्व. श्री मूलचन्द्र गुप्ता
3– कृष्ण कुमार पुत्र स्व. श्री मूलचन्द्र गुप्ता
4– प्रमोद कुमार पुत्र स्व. श्री मूलचन्द्र गुप्ता
निवासीगण–विजयराघवगढ़ जिला कटनी (म.प्र.)
..... अनावेदकगण

न्यायालय तहसीलदार विजयराघवगढ़ द्वारा प्रकरण क्रमांक 16/अ–6/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 05.11.2015 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, ग्राम विजयराघवगढ़ में स्थित भूमि खसरा न. 12/1, 13/1, 14/1, 15, 564/1 कुल रकवा 4.189 है0 के भूमि स्वामी बद्रीप्रसाद वल्द तुलसीराम थे। मूल भूमि स्वामी बद्रीप्रसाद का स्वर्गवास होने के पश्चात् कस्तूरीबाई बेवा बद्रीप्रसाद के नाम का प्रमाणीकरण किया गया।

2– यहकि, उक्त नामान्तरण आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी विजयराघवगढ़ के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गयी जो आदेश दिनांक 31.12.2011 से अवधि बाह्य मानकर निरस्त की गयी।

3– यहकि, अनुविभागीय अधिकारी विजयराघवगढ़ के आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा द्वितीय अपील एडीशनल कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी जो आदेश दिनांक 27.12.2012 से स्वीकार कर प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया। कि वह नामान्तरण नियमों के प्रावधानों का अनुसरण करते हुये विधि सम्मत आदेश पारित करें।

4– यहकि, एडीशनल कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर के आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल के समक्ष पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 201–एक/2013 प्रस्तुत किया गया था जो माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 19.06.2013 को दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करते हुये प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि वे संहिता की धारा 110 एवं नामान्तरण नियमों के प्रावधानों का अनुसरण करते हुये विधि सम्मत् आदेश पारित करें।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 494/एक/2016 जिला–कटनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
7-12-2016	यह निगरानी आवेदकगण द्वारा तहसीलदार विजयराघवगढ के प्रकरण क्रमांक 16/अ–6/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 05.11.15 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि ग्राम विजयराघवगढ में स्थित भूमि खसरा नं. 12/1, 13/1, 14/1, 15, 564/1 कुल रकवा 4.189 है0 के भूमि स्वामी बद्रीप्रसाद पुत्र तुलसीराम थे। मूल भूमि स्वामी बद्रीप्रसाद का स्वर्गवास होने के पश्चात् कस्तूरी बाई बेवा बद्रीप्रसाद के नाम का प्रमाणीकरण किया गया। नामान्तरण आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी विजयराघवगढ के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी जो आदेश दिनांक 31.12.2011 से अवधि बाह्य मानकर निरस्त की गयी। अनुविभागीय अधिकारी विजयराघवगढ के आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा द्वितीय अपील एडीशनल कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी। जो आदेश दिनांक 27.12.2012 से स्वीकार कर विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया। कि वह नामान्तरण नियमों के प्रावधानो का अनुशरण करते हुये विधि सम्मत् आदेश पारित करें। एडीशनल कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर के आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा माननीय राजस्व मण्डल के न्यायालय मे पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया। जो आदेश दिनांक 19.06.2013 से दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करते हुये प्रकरण तहसीलदार को इस	

निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया। कि वह धारा 110 एवं नामान्तरण नियमों के प्रावधानों का अनुशरण करते हुये विधि सम्मत आदेश पारित करें। माननीय न्यायालय के उक्त आदेश के पालन में तहसीलदार विजयराघवगढ द्वारा कार्यवाही प्रारंभ की गयी और आदेश दिनांक 06.02.2014 से भूमि स्वामी कस्तूरी बाई का नाम काटा जाकर पंजी क्रमांक 167 पारित आदेश दिनांक 03.01.1983 की पूर्व की स्थिति हल्का पटवारी अभिलेख में सुधार कर यथावत् करने का आदेश पारित किया गया। जबकि इस संबंध में किसी भी वरिष्ठ न्यायालय का कोई आदेश नहीं है तहसीलदार विजयराघवगढ़ द्वारा आवेदिका कस्तूरीबाई के नाम को राजस्व अभिलेखों से हटवाकर प्रकरण में आगामी कार्यवाही जारी रखी गयी। इसी दौरान आवेदकगण द्वारा आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी का आवेदन प्रस्तुत किया। कि वर्तमान प्रकरण किस मद में विचारण किया जा रहा है यह अभिलेख से स्पष्ट नहीं है। तथा प्रकरण में पक्षकारो के नाम भी विधिवत् रूप से उल्लेखित नहीं किये गये है। साथ ही साथ फौती दुरूस्ती के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना बताया गया है। किन्तु अभिलेख से यह कही भी स्पष्ट नही है कि आवेदन पत्र किसकी ओर से प्रस्तुत किया गया है साथ ही यह भी निवेदन किया गया था। कि संतोष द्वारा जो सिजरा फौती दुरूस्ती के संबंध में प्रस्तुत किया है। वह विधिवत् नहीं है, उक्त आवेदन पत्र का अनावेदकगण द्वारा जबाव प्रस्तुत किया गया तथा बताया कि आवेदक प्रकरण को विलंबित करना चाहते है इसलिये आवेदन निरस्त किया जाये। तहसील न्यायालय द्वारा उक्त आवेदन पत्र पर तर्क सुने जाकर प्रकरण की वास्तविक स्थिति का अवलोकन किये बिना आवेदन पत्र में उठाये गये आधारो पर विचार किये बिना आदेश दिनांक 05.11.2015 से आवेदन पत्र अमान्य किये जाने का आदेश पारित किया। इसी आदेश के विरूद्व इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गयी।

3– निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। तथा उनकी ओर प्रस्तुत दस्तावेजो का विधिवत् अवलोकन किया गया।

4– आवेदक अभिभाषक ने तर्को में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदन आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी का बिना किसी आधार के निरस्त किया गया है। तहसीलदार विजयराघवगढ़ को कस्तूरीबाई का नाम राजस्व अभिलेखों से काटे जाने का कोई अधिकार नहीं था। माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व में प्रकरण को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया था कि वह संहिता की धारा 109,110 के नामान्तरण नियमों का अनुशरण करते हुये विधि सम्मत आदेश पारित करें। किन्तु उक्त आदेश में कस्तूरीबाई का नाम काटे जाने का कोई आदेश नहीं था। फिर भी विचारण न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया है वह विधि एव प्रक्रिया के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है एवं माननीय न्यायालय को संहिता की धारा 50 में विस्तृत अधिकार प्राप्त है जो अधिकार माननीय उच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 226, 227 में है। ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय से निवेदन है कि वह प्रकरण का निराकरण गुण दोषो के आधार पर करें। अंत में निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

5– अनावेदक की ओर उपस्थित अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत की है, जिसमें उल्लेख किया है कि स्वर्गीय बद्रीप्रसाद बल्द तुलसीराम की सम्पत्ति, ग्राम विजयराघवगढ़ में स्थित थी। स्व0 बद्रीप्रसाद निर्वसीयति हुयी है, अतः धारा 164 के अन्तर्गत तीनों पुत्र एवं वेवा पत्नी का नामांतरण वारिस होने के कारण किया जाना चाहिए था। किन्तु आवेदक क्रमांक 1 व 2 द्वारा आवेदिका क्रमांक 3 का नाम दर्ज कराया गया है। इसकी सूचना अनावेदकगण को नहीं दी गयी, इसलिए जानकारी दिनांक से अंदर अवधि में अपील की गयी थी तत्पश्चात माननीय न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गयी, जिसमें

आदेश दिनांक 19.06.2013 पारित किया गया तथा समस्त आदेश निरस्त कर हितबद्ध पक्षकारों को सुनकर गुण–दोषों पर आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया। तत्पश्चात आदेश प्राप्त होने पर रिकॉर्ड को पूर्ववत किया गया। जिस पर आवेदक की ओर से आपत्ति आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के अन्तर्गत ली गयी। जो विधिवत विचार करने के पश्चात निरस्त की गयी है। ऐसी स्थिति में आवेदक द्वारा बिना किसी कारण के प्रकरण को बिलम्बित करने के उद्देश्य से जो निगरानी प्रस्तुत की है, वह प्रचलन योग्य नहीं होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

6– उभयपक्ष के अभिभाषकों द्वारा किये गये तर्को एवं अधीनस्थ न्यायालय अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 19.06.2013 में तहसीलदार विजयराघवगढ़ को निर्देश दिये गये है कि संहिता की धारा 110 एवं नामांतरण नियमों के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए विधि–सम्मत आदेश पारित करें। तत्पश्चात तहसीलदार विजयराघवगढ़ द्वारा बिना किसी आवेदन के अथवा बिना किसी मांग के आदेश दिनांक 06.02.2014 पारित कर संशोधन पंजी क्रमांक 167 पारित आदेश दिनांक 03.01.1983 के पूर्व की स्थिति में हल्का पटवारी अभिलेख सुधार कर यथावत किये जाने का आदेश पारित किया है। जो विधिवत नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अतः इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। इसके अलावा आवेदकगण द्वारा निवेदन किया गया है कि इस न्यायालय को संहिता की धारा 50 में विस्तृत अधिकार प्राप्त है। जिससे वह ना केवल आक्षेपित आदेश पर विचार कर सकता है, बल्कि समस्त न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों पर विचार कर आदेश पारित करने का अधिकार है। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 1986 आर. एन. 1 में जो दिशा–निर्देश दिये है, उन पर विचार कर प्रकरण में आदेश पारित किया जा रहा है। आवेदकगण की ओर से तहसीलदार

विजयराघवगढ़ के समक्ष आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें उल्लेख किया था कि अनावेदकगण द्वारा फौती दुरूस्ती नामांतरण में आवश्यक पक्षकार नहीं बनाये हैं एवं संबंधित दस्तावेज तथा फौती से संबंधित प्रमाणपत्र राजस्व अभिलेख एवं शपथपत्र प्रस्तुत नहीं किये हैं। ऐसी स्थिति में अनावेदक संतोष आदि द्वारा सिजरानुसार दुरूस्ती निरस्त की जाये। उक्त आवेदन पत्र का जबाव अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत किया गया एवं बताया कि आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का आवेदन न्यायालय को भ्रमित करने के उद्देश्य से प्रकरण में अनावश्यक बिलम्ब कारित करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया है। अतः आवेदन पत्र निरस्त किया जाये। न्यायालय द्वारा उपरोक्त आवेदन पत्र पर सद्भाविक विचार किये बिना निरस्त किया है जबकि उक्त प्रकरण में मूलचन्द्र के जीवनकाल में बंटवारा एवं कस्तूरीबाई के नाम का नामान्तरण हो गया था और उनके द्वारा अपने जीवनकाल में कभी कोई आपत्ति नहीं की है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि पर स्वर्गीय मूलचन्द्र के वारिसानों का कोई अधिकार ही शेष नहीं बचा था, ऐसे में आवेदन को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का कोई कारण ही नहीं था क्योंकि प्रकरण में कोई भी बाद कारण उत्पन्न नही हुआ है। जहॉ दावा किसी विधि द्वारा वर्जित है, उपरोक्त व्याख्यान से स्पष्ट है कि आवेदन को विधि अनुसार स्पष्ट रूप से संबंधित आवश्यक पक्षकार एवं शपथ पत्र तथा आवश्यक दस्तावेज के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिये। जो अनावेदकगण या किसी भी पक्षकार द्वारा पेश नहीं है, ऐसे में ही दोनो कारण आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी का आवेदन पोषणीय था। और संतोष एवं अन्य के द्वारा प्रस्तुत आवेदन निरस्त किये जाने योग्य है। अनावेदकगण द्वारा अपने आवेदन पत्र में कथन किया है, कि पारिवारिक सेटलमेंट के आधार पर फौती नामान्तरण का आवेदन प्रस्तुत किया है। जबकि उक्त भूमि में बंटवारा के तथ्य को छुपाया गया है और अपने पिता की फौती दर्ज

करवाकर अपने वारिसान का नाम दर्ज करवाया था। वह भूमि मूलचन्द्र के हिस्से में प्राप्त हुयी थी और इस बाद की पुष्टि अनावेदक ने अपने पिता फौती के समय स्पष्ट किया था। आवेदन में स्पष्तः नही होने से सही बातो को छुपाकर सिजरा प्रस्तुत किया है, पूर्व में भूमि का बंटवारा या नामान्तरण पिता या पूर्वजों द्वारा कराया जा चुका है। तो उसके वारिसान उक्त भूमि पर दोबारा नामान्तरण कराने के अधिकारी नहीं है। इस प्रकार अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन न्यायालय भ्रमित करने के उद्देश्य से अथवा न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथो से नहीं आना स्पष्ट होता है। किन्तु इस तथ्य पर तहसीलदार विजयराघवगढ़ द्वारा विधिवत् विचार नहीं किया गया इसलिये उक्त आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7— उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर तहसीलदार विजयराघवगढ़ द्वारा प्रकरण क्रमांक 16/अ—6/2013—14 में पारित आदेश दिनांक 05.11.2015 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता जाकर राजस्व अभिलेखों में कस्तूरीबाई का नाम पूर्ववत दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

सदस्य